

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

राँची, दिनांक-...31-01-2022

: :अधिसूचना: :

सं० सं०-1(निदेश०अभि०) नि० प्रारूपक-17/2015...55/11. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय की अधिसूचना संख्या-760/नि०रा०, दिनांक-15.12.2017 द्वारा झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2017 (यथा संशोधित, 2020) का गठन किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4131, दिनांक-19.08.2021 द्वारा दिये गये निदेश कंडिका-(ii) के आलोक में प्रारूपक के रिक्त पदों पर भर्ती के प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-

- (1) यह नियमावली " बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन)नियमावली-2021" कहलाएगी ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के बन्दोबस्त कार्यालयों के लिए लागू होगा ।
- (3) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. (i) झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2017 (यथा संशोधित, 2020) के नियम-4 (ख) शैक्षणिक योग्यता की कंडिका-(i) (अनिवार्य योग्यता) को संशोधित करते हुए निम्न प्रावधान का प्रतिस्थापन :-

"अनिवार्य योग्यता :- सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्ती के लिये झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का ड्राफ्ट्समैन सिविल/मैकेनिकल ट्रेड का प्रमाण पत्र धारी होना अनिवार्य है । बंदोबस्त कार्यालय में से कम से कम 10 (दस) वर्षों की उजरत भोगी सेवा अथवा दस (10) वर्षों की समूह 'घ' की सेवा देने वाले अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडियेट या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का ड्राफ्ट्समैन सिविल/मैकेनिकल ट्रेड का प्रमाण पत्र धारी होना अनिवार्य है । आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विचारणीय होगी जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हों तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।



परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परन्तु यह कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति एवं झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2017 के प्रवृत्त होने के पूर्व बंदोबस्त कार्यालय में उजरत भोगी अथवा समूह 'घ' के रूप में कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी । ”

(ii) झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2017 (यथा संशोधित, 2020) के नियम-4 (ख) (iii) को संशोधित करते हुए निम्न प्रावधान का प्रतिस्थापन :-

“ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडियट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 एवं यथा संशोधित नियमावली, 2016 तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडियट/10+2) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रावधानों अथवा समय समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इंटरमीडियट/10+2 योग्यता वाले पदों से संबंधित निर्गत होने वाले संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार प्रारूपक पदों पर नियुक्ति परीक्षा का संचालन किया जायेगा ।

प्रारूपक सेवा संवर्ग नियमावली के प्रावधानों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचित उक्त परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधानों के विरोधाभाषी/प्रतिकूल होने की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचित परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे ।”

(iii) झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2017 के नियम-4 (ग), (घ), (ङ) एवं (च) को विलोपित किया जाता है ।

3. झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2017(यथा संशोधित, 2020) को इस हद तक संशोधित किया जाता है । नियमावली के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे ।

4. झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2017 (यथा संशोधित, 2020) को इस नियमावली में समाहित किया जाता है ।

5. विभागीय संलेख ज्ञापांक-688/नि.रा. दिनांक-16.12.2021 के द्वारा “ बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021” के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-19.01.2022 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या- 23 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(एल0 खियांगते)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।



ज्ञापांक-1(निदे०अभि०) नि० प्रारूपक-17/2015....., राँची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-1(निदे०अभि०) नि० प्रारूपक-17/2015....., राँची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित। अनुरोध है कि मुद्रित राजपत्र की 500 प्रतियाँ भू-अभिलेख, एवं परिमाण निदेशालय, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह०/-

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-1(निदे०अभि०) नि० प्रारूपक-17/2015..55/1041. राँची, दिनांक-31.01.2022
प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।